

राजस्थान / श्रीम. प्रवन्ध 105/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

9.10.23

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त श्रेम रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी रहे। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 01.10.24 को पेश हों।

रफि नीतिलगरी

6010-6027

9.10.23

LC पत्रावली

नए रिकार्ड

14

02.01.24

LC पत्रावली सं. 17/2015

संलग्न

8.1.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 01.10.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 01.10.24 को पेश हो।

8.4.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 01.10.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13/5/24 को पेश हो

13.5.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हावावा का पूर्व की अगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश की अन्यथा अगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त से रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति न-की है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभार होकर सवा से कम होकर बाद तारीख तकमिल दाखिल दफतर हो।

श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प सुन्डन)

